

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-1/अ0प्र0-05-19/2011

342

/पटना, दिनांक- 17-7-25

दिनांक-21.07.2025 (सोमवार) से दिनांक-25.07.2025 (शुक्रवार) तक आयोजित बिहार विधान मंडल के 210वें सत्र के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशाखा पदाधिकारियों/सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों/कर्मचारियों की संशोधित रोस्टर डियूटी की व्यवस्था निम्नरूपेण की जाती है :-

क्र० सं०	दिन का नाम/दिनांक	प्रशाखा पदाधिकारी का नाम/मो० नं०	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम/मो० नं०
1	सोमवार (21.07.2025)	श्री संजीव रंजन, मो० नं०-8825115860	1-श्री अमन कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मो०-9135350089 2-श्री सुमित कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मो०-6201293302 3- श्री विशाल प्रताप, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर मो० नं०-8340508917 4- श्री दिनेश पंडित, कार्यालय परिचारी, मो० नं०-7250635105
2	मंगलवार (22.07.2025)	श्री प्रवीण कुमार, मो० नं०-7903598050	1- श्री चन्द्रशेखर राज, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मो० नं०-9575897850 2-श्री सोनू सागर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मो० नं०-9113388124 3-श्री रंजीत कुमार सिन्हा, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर मो० नं०-9234622076 4- श्री मंजीत कुमार, आई०टी० ब्यॉय मो० नं०-7761919982
3	बुधवार (23.07.2025)	श्री रजनी कांत रंजन, मो० नं०-8051377051	1- श्री अमरजीत कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मो० नं०-9570101717 2-श्री भुवन लाल कर्ण, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मो० नं०-9060005175 3- श्री सत्यदेव कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर मो० नं०-7482902485 4- श्री बलराम कुमार सिंह, आई०टी० ब्यॉय, मो० नं०-9430603952
4	गुरुवार (24.07.2025)	श्री पीयूष रंजन, मो० नं०-9939848584	1- श्री कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मो० नं०-8210307717 2-श्री चन्दन कुमार राय, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मो० नं०-7250204918 3- श्री विकाश कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक मो० नं०-8969439898 4- श्री विशाल कुमार, आई०टी० ब्यॉय मो० नं०-7091779168
5	शुक्रवार (25.07.2025)	श्री गौतम भास्कर, मो० नं०-9955202102	1- श्री गरीबनाथ कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मो० नं०-9608705089 2- श्री सुशील कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मो० नं०-7549884208 3- श्री अंकुर आनन्द, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर मो० नं०-7654730029 4- श्री अनिश कुमार, आई०टी० ब्यॉय मो० नं०-9693795035

2. रोस्टर ड्यूटी वाले पदाधिकारी/कर्मों देर शाम तक रुक कर प्रशाखा-9 एवं 10 के कार्यों में सहयोग करेंगे।
3. प्रशाखा-9 एवं 10 में पदस्थापित प्रशाखा पदाधिकारी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उच्चवर्गीय लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर प्रतिदिन विधान मंडलीय कार्यों का देर रात तक रुक कर सम्पादन करेंगे। टंकण शाखा/निर्गत शाखा प्रतिदिन उक्त अवधि में कार्यरत रहेगा। संबंधित प्रशाखा में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर रोस्टर अवधि में प्रतिदिन कार्यरत रहेंगे।
4. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

17.7.25

ज्ञापांक-1/अ0प्र0-05-19/2011 7784 /पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि:- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों/संबंधित सभी कर्मियों एवं लिफ्ट
मैन/चौकीदार, श्री नागेश्वर भगत, अभियंता प्रमुख कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रशाखा पदाधिकारी-12 (लेखा शाखा) चालू सत्र के दौरान आवश्यकतानुसार अल्पाहार
एवं भोजन की व्यवस्था करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव

17.7.25

ज्ञापांक-1/अ0प्र0-05-19/2011

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव
के आशुलिपिक/सभी विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख के आशुलिपिक/सभी मुख्य
अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव